

03/01/18

पंजाबी के हों। अक्सर हम सब  
वाची विरह हो लगे हैं राजस्व  
प्रदत्त नहीं किया गया है कबिल कब  
प्रतिपत्ति द्वारा आई विरह हो लगे  
किया गया, अक्सर किया गया। कबिल  
वाची कबिल इस पर अक्सर नहीं की जाती है।  
पंजाबी विरह हो लगे 14/02/2018 को पेश  
है।

14/2/18



28/03/18

02/05/18

सत्यमेव जयते

06/06/2018

पंजाबी आज राजस्व जो अदालत  
शिगरीर विरह पर पंजाबी गयी। पंजाबी  
लाभिर आके दोको पेश की कबिल  
पंजाबी का अदालत किया गया। सच  
गये पर अक्सर करते हुए अक्सर सचिवा  
के प्रकृत विस्तार के लिए सचिवा  
किये जाने पर सचिवा पेश सचिवा  
एवं सचिवा प्रकृत पर अदालत पेशवा  
करा हल्लाकर किये गये। पंजाबी के  
प्रकृत सचिवा कबिल वाची सचिवा 1, 2, 3, 4 के  
वाची एवं 5 के पेशवा सचिवा सचिवा के  
अक्सर प्रकृत कबिल कि अदालत के जालिये  
पंजाबी विरह पर हल्लागी कबिल कि अदालत  
के 24/01/1959 को सचिवा कर कबिल अदालत  
सचिवा के पेशवा के पेशवा का पेशवा अदालत

पंजाबी  
सचिवा

पंजाबी  
पेशवा

2024 m

**FORM No. III**  
**फर्द अहकाम**  
**(नियम 26)**

..... मुकाम  
..... बनाम  
..... नं. 92/2014 ..... सन् .....

अहकाम हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

पर कब्जा रहा है। इसका प्रितीक निम्न पत्र  
दि. 31/07/1968 का श्री स्वच्छेकन गमन (अ) का  
गया। अतः मौरा गांव कोहपपुरा, 90 ए० बिछोर  
तहसील के अफरी रकबा - 172, 173 खिन्ना-2  
रकबा = 0-5300 हे० भूमि में कारीबन की खातेदारी  
आधिकार दिया जाना व्यापकोपेन है।

अतः यह कारीबन का ध. 88-188 R. T. Act  
हकीकत किया जाकर काका प्रिती किया जाता है।  
मौरा - कोहपपुरा, 90 ए० बिछोर तहसील के  
आ. सं. 172, 173 खिन्ना-2 कुल रकबा 0-53 हे०  
भूमि कारीबन की खातेदारी से दर्ज किया जाने के  
कारण बिके जाते हैं। उक्त आरपी में अतिक्रमण  
का नाम बताया जावे। साथ ही अतिक्रमण को  
उक्त आरपीगत में दूरदर्शी नसी करने, पताने  
केबु पापंद किया जाता है। अफरी रकबा से  
अधिकृत उपर में नैका प्रिती प्रक से नैका  
कर तहसीलकार नैका के यजनार्थ ही जावे।  
पुत्रापुत्री केवल सुका होकर नैका में कम  
होकर काकील रकबा है।

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेनू (पिलीइगढ़)